पत्रांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक......................

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा खलीलुल उलूम, गम्हरिया, प्रखण्ड–टेडागाछ, जिला–किशनगंज के मदरसा में 06 वर्गकक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रशोईघर, 02 शौचालय, 310 फीट चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि ₹166.16 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹40.00 लाख (चालीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन एवं निकासी के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा खलीलुल उलूम, गम्हरिया, प्रखण्ड–टेडागाछ, जिला–किशनगंज में 06 वर्गकक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रशोईघर, 02 शौचालय, 310 फीट चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि ₹166.16 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख सोलह हजार रूपये) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, उक्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर निर्माण कार्य हेतु ₹166.16 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹40.00 लाख (चालीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि बजट माँग संख्या–30 मुख्य शीर्ष 4225–अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 051– निर्माण, उपशीर्ष 0102–बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, विस्तृत शीर्ष–53–मुख्य कार्य, विषय शीर्ष–01–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–30–4225040510102 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन Bihar Local Area Development Agency (BLADA), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹40.00 लाख (चालीस लाख रूपये) मात्र Bihar Local Area Development Agency (BLADA), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पी०एल० खाता में विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC Form-46 में विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से अंतरित की जायेगी। पी०एल० खाता से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :–

PL Code	:-	PTSPLA011
PL Name	:-	Bihar Local Area Development Agency (BLADA) योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना

5. BLADA द्वारा स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि की निकासी एवं उपयोग वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त योजना बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि०(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उपर्युक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989/वि० दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आपेक्षित होगा।

(कृ०पृ०उ०)

11. कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, किशनगंज के द्वारा की जायेगी एवं समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।
12. उपर्युक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०– 07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6572, दिनांक–25.11.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सहायक निदेशक–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/बजट शाखा/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–प्रधानाध्यापक/सचिव, मदरसा खलीलुल उलूम, गम्हरिया, प्रखण्ड–टेडागाछ, जिला–किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022............................/ पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल किशनगंज/कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–13/2022......76............./ पटना, दिनांक 14.05.2025

प्रतिलिपि–आई० टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 14/5